



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072021-228404
CG-DL-E-22072021-228404

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403]
No. 403]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2021/आषाढ 31, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2021/ASHADHA 31, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 501(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (गगघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नियम, 2020 को संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नियम, 2020 के नियम 3 के उपनियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

“परन्तु कि जहां आवेदन में उल्लेख किए अनुसार वसूले जाने वाले ऋण की रकम एक सौ करोड़ रुपए या इससे अधिक हो, अभिवचन की ई-फाइलिंग अनिवार्य होगी।”

[फा. सं. 3/5/2021-डीआरटी]

वंदिता कौल, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, उप-खंड (i) सा.का.नि. 43(अ) तारीख 22 जनवरी, 2020 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2021

G.S.R. 501 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section(2) of section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Debts Recovery Tribunal and Debts Recovery Appellate Tribunals Electronic Filing Rules, 2020 namely:—

1. Short title and Commencement: - (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunals and Debts Recovery Appellate Tribunals Electronic Filing (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule(2) of rule 3 of the Debts Recovery Tribunals and Debts Recovery Appellate Tribunals Electronic Filing Rules, 2020, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that e filing of pleading shall be mandatory where the debt to be recovered, as mentioned in the application, is rupees one hundred crore and above.” .

[F. No. 3/5/2021-DRT]

VANDITA KAUL, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Sub Section (i), *vide* number G.S.R. 43(E), dated the 22nd January, 2020.